भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड –XXVII अंक–03 15 फरवरी, 2022

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि–ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। **श्रीमद्भगवद्गीता 3/40**

प्रोफेसर रंगन बनर्जी का हार्दिक स्वागत



भारत के माननीय राष्ट्रपति (आई.आई.टी. दिल्ली के विजिटर) के अनुमोदन से, शिक्षा मंत्रालय ने प्रो. रंगन बनर्जी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का पॉच वर्ष की अवधि के लिये निदेशक नियुक्त किया है। प्रो. बनर्जी ने 15 फरवरी, 2022 को संस्थान के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। हिन्दी कक्ष परिवार की ओर से प्रो. बनर्जी को हार्दिक बधाई तथा संस्थान में उनके कुशल निदेशन के लिये शुभकामनायें।

प्रो. रंगन बनर्जी ने मैकेनिकल इंजीनियरी में बी.टेक.(1986) एवं पीएच.डी.(1991) की उपाधि आई.आई.टी. मुम्बई से प्राप्त की। आपने वर्ष 1993 में विजिटिंग सहायक प्रोफेसर के रूप में आई.आई.टी. मुम्बई में कार्य प्रारम्भ किया। प्रो. बनर्जी, आईआईटी मुम्बई में ऊर्जा विज्ञान व इंजीनियरिंग विभाग में फोर्ब्स मार्शल चेयर प्रोफेसर रहे–एक विभाग जिसे उन्होंने 2007 में शुरू करने में मदद की थी।

उनकी रुचि के क्षेत्रों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा प्रणालियों का मॉडलिंग, ऊर्जा नियोजन और नीति, हाइड्रोजन ऊर्जा और फ्यूल सैल शामिल हैं। प्रो. बनर्जी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सस्टेनेबल एनर्जी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ थर्मोडायनामिक्स, सोलर एनर्जी एडवांस, ग्लोबल ट्रांज़िशन (एनर्जी ट्रांज़िशन) के संपादकीय बोर्ड में हैं।

आप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक मेगावॉटस्केल सोलर थर्मल पावर टेस्टिंग, सिमुलेशन, रिसर्च फैसिलिटी स्थापित करने में शामिल रहे हैं। 'टीम शून्य' जो कि–सोलर डेकाथलॉन 2014 यूरोप फाइनल में भारत की पहली विद्यार्थी टीम जिसमें डिजाइनिंग और एक पूरी तरह कार्यात्मक सौर घर का निर्माण शामिल हैं, आप इसके फैकल्टी सलाहकार हैं।

प्रो. बनर्जी, TIFAC टेक्नोलॉजी विजन 2035–एपेक्स कमेटी के सदस्य और एनर्जी टेक्नोलॉजी थीम के अध्यक्ष रहे। आप औद्योगिक अंत–उपयोग दक्षता (Industrial End Use Efficiency) के लिए एक संयोजक लीड विश्लेषक थे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस द्वारा समन्वित ग्लोबल एनर्जी असेसमेंट (2008–2011) के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य थे। प्रो. बनर्जी 2010 में यू.के. के ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम (ऊर्जा की आर.सी.यू.के. समीक्षा) की समीक्षा करने वाली अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य रहे। आप ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर कार्यकारी समूह के सदस्य और योजना आयोग की एकीकृत ऊर्जा नीति के सदस्य रहे। आप ऊर्जा के मुद्दों पर शहर, राज्य नियामक आयोग और ऊर्जा एजेंसी, योजना आयोग, नीति आयोग, एम.एन.आर.ई. को सलाह देने में शामिल रहे हैं और कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योगों के साथ काम किया है। उन्होंने पावर सेक्टर में 'प्लानिंग फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट' एवं 'रासायनिक उद्योग में ऊर्जा लागत' और 'भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा' पुस्तकों का सह–लेखन किया है। आप आई.आई.टी. मुम्बई में संकायाध्यक्ष (आर एंड डी) रहे और आई.आई.टी. मुम्बई से शिक्षण कार्य में उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त किया। आप भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (INAE) के फेलो तथा कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और पब्लिक पॉलिसी विभाग में एक मानद संकाय भी हैं।

पुनर्नियुक्ति

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-4/7012 दिनांक 31.1.2022 के अनुसार **प्रो. रबिशंकर चट्टोपाध्याय** (वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग) को संस्थान संविधि के पैरा 13 (2) के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र के अंत तक अर्थात् 30.6.2022 तक के लिए वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-4/7010 दिनांक 31.1.2022 के अनुसार **प्रो. भुवनेश गुप्ता** (वस्त्र एवं रेशा

इंजीनियरी विभाग) को संस्थान संविधि के पैरा 13 (2) के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र के अंत तक अर्थात् 30.6.2022 तक के लिए वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-4/7007 दिनांक 31.1.2022 के अनुसार **प्रो. मंगलपाडी राजाराम शेनॉय** (भौतिकी विभाग) को संस्थान संविधि के पैरा 13 (2) के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र के अंत तक अर्थात् 30.6.2022 तक के लिए भौतिकी विभाग में प्रोफेसर के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है।

स्वागत

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-5/2022/3537 दिनांक 17.1.2022 के अनुसार **डॉ. अभय गुप्ता** ने 11.1.2022 से संस्थान के अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/5717 दिनांक 24.1.2022 के अनुसार **डॉ. सौमेन पंडित** ने 20.1.2022 से संस्थान के अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान केन्द्र (CARE) में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/3032 दिनांक 13.1.2022 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) सोनल श्रीवास्तव** ने 3.1.2022 से संस्थान के जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/3013 दिनांक 13.1.2022 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) सिवा शक्ति ए.** ने 3.1.2022 से संस्थान के विद्युत इंजीनियरी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/4660 दिनांक 20.1.2022 के अनुसार **डॉ. जसवन्त** ने 13.1.2022 से संस्थान के वायुमण्डलीय विज्ञान केन्द्र में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/4672 दिनांक 20.1.2022 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) उर्वशी शर्मा** ने 12.1.2022 से संस्थान के रासायनिक इंजीनियरी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/4975 दिनांक 21.1.2022 के अनुसार **डॉ. सोमेन मण्डल** ने 17.1.2022 से संस्थान के रासायनिक इंजीनियरी विभाग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/ 2611 दिनांक 12.1.2022 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) जूही रघुवंशी** ने 3.1.2022 से संस्थान के प्रबन्ध अध्ययन विभाग में विजिटिंग संकाय के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/ 7891 दिनांक 2.2.2022 के अनुसार **प्रो. संजीव कपूर** ने 6.1.2022 से संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में विजिटिंग संकाय के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/7142 दिनांक 31.1.2022 के अनुसार **प्रो. सार्थक पारिख** ने 28.1.2022 से संस्थान के भौतिकी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल–12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड–I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

 प्रो. सार्थक पारिख को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13A1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित 'युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप' भी प्रदान की गई है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-5/2022/8696 दिनांक 4.2.2022 के अनुसार **डॉ. चिंताला वेंकटा शिव राम कृष्णा** ने 2.2.2022 से संस्थान के अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग में पोस्ट डाक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/8464 दिनांक 3.2.2022 के अनुसार **प्रो. अतनेन्दु सेखर मण्डल** ने 2.2.2022 से संस्थान के भारती दूर संचार प्रबंधन स्कूल में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

त्यागपत्र स्वीकृत

- स्थापना अनुभाग–II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/E-2/2022/3100 दिनांक 13.1.2022 के अनुसार **श्री गौरव पाल** कनिष्ठ सहायक ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 17.1.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः श्री गौरव पाल 17.1.2022 को संस्थान कार्य से मुक्त हो गए है।
- स्थापना अनुभाग–II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/E-2/2022/6533 दिनांक 27.1.2022 के अनुसार **श्री मोहम्मद मुस्तकी,** कनिष्ठ सहायक ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 27.1.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः श्री मोहम्मद मुस्तकी 27.1.2022 को संस्थान कार्य से मुक्त हो गए है।

आजादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है संविधान

(राष्ट्र केवल भौगोलिक या राजनीतिक इकाई ही नहीं होता। राष्ट्र सबसे पहले व्यक्ति की चेतना में पैदा होता है)।

भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने सैकड़ो वर्षों की बौद्धिक परतंत्रता और दासता को मिटा कर भारतीय राजनीति को एक सर्वप्रिय और वैश्विक स्वरूप प्रदान करने की जो कोशिश की, उसे गणतंत्र दिवस पर गहराई से समझना आवश्यक है। कुछ कम्युनिस्ट विचारकों ने धर्म को मजहब के समानार्थी मानने की भूल करते हुए सनातन धर्म के शाश्वत मानव मूल्यों को संकीर्ण दृष्टि से समझने का जो कार्य किया, उसे मिटाते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय जीवन–पद्धति को धर्म का मूल मानते हुए राष्ट्र के कल्याण के लिए उनका सूत्र वाक्य में प्रयोग किया और धर्म शब्द की वास्तविक व्याख्या की। यूरोपीय विचारक और वामपंथी इतिहासकार भारत के जीवन–दर्शन की जिस गहराई की थाह नाप भी न सके, उसे स्वतंत्रता बाद संविधान निर्माताओं और चिंतकों ने पुनः व्याख्यायित करने का काम किया तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट किया। इसी कारण 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' को भारतीय संसद के प्रेरणा वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया तो भारत की न्यायपालिका का प्रेरणा वाक्य बना–'धर्मो रक्षति रक्षितः।'भारतीय संविधान की मूल प्रति में जिन सांकेतिक चित्रों का प्रयोग हुआ है, वे भी भारतीय संस्कृति से ही लिए गए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे इस संविधान का मूल स्वरूप आम लोगों को सहज उपलब्ध नहीं है। संविधान का जो पाठ बाजारों में उपलब्ध है, प्रायः उसमें वे सांकेतिक चित्र नहीं दिए होते। संविधान के जिस भाग में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है, उस भाग का प्रारम्भ वैदिक काल के गुरूकुल से किया गया है। ऐसा गुरूकुल जहां वैदिक उपनिषदों का पाठ हो रहा है और हवन भी हो रहा है। वैदिक ऋषि द्वारा किया जाने वाला यह हवन ही भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को बताने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार संविधान के भाग तीन में, जहॉ मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उसका प्रारंभ राम, सीता और लक्ष्मण के चित्रों से किया गया है। भारतीय संविधान के इस स्वरूप को सांस्कृतिक आधार देने के निमित भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के भी चित्र हैं। संविधान में दिए गए इन चित्रों का तात्पर्य भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि को रेखांकित करना ही है। ये चित्र भारत के इतिहास की ओर भी संकेत करते हैं। दुर्भाग्य से भारत के विभिन्न दल सेक्युलरिज्म की आड़ में अल्पसंख्यकवाद, अलगाववाद जैसी छिछली राजनीति कर वोट बैंक तक अपनी पहुंच बनाने के फेर में भारतीय संविधान की मूल अवधारणा को ही दृष्टि ओझल करने की कोशिश करते रहे हैं।

भारतीय राजनीति से जुड़े अधिकांश लोगों में अपनी संस्कृति के तत्वों को लेकर भ्रम और अनभिज्ञता की स्थिति रही। आज भी अधिकांश लोग भारत के पूरे सांस्कृतिक चरित्र को पश्चिमी चश्मे से देखना चाहते हैं। सबसे अधिक विभ्रम अंग्रेज इतिहासकारों और विचारकों ने फैलाया। उनकी हां में हां मिलाते हुए भारतीय विरोधी कुछ भारतीय विचारकों एवं लेखकों ने भी उसे फैलाया। इन सबके पीछे एक ही लक्ष्य था–भारत को मानसिक स्तर पर विभाजित करना। पहले आर्य और द्रविड़ में विभाजन किया। बाद में यह स्थापित करने लग गए कि भारत कभी एक संगठित राष्ट्र के रूप में नहीं रहा और न ही वह कभी सांस्कृतिक या राजनीतिक इकाई के रूप में पहचाना गया। इस दुष्प्रचार ने धीरे–धीरे भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता पर विपरीत असर डाला। यदि बार–बार किसी झूठ को दोहराया जाए तो एक समय के बाद वह सत्य सा प्रतीत होने लगता है।

भारत की प्राचीन राजनीति का आधार आध्यात्मिक चिंतन है, परंतु उद्देश्य सर्वदा ही मानव मात्र का कल्याण रहा है। संविधान के 'मौलिक अधिकारों' वाले भाग के पहले प्रभु श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का चित्र देकर यह संकेत भी दिया गया है कि 'रामराज्य' तभी आ पाएगा, जब नागरिकों को विधि के सामने समानता का अधिकार प्राप्त हो। चाहे वह शिक्षा या अभिव्यक्ति की समानता हो या शोषण, जातीयता, लिंगभेद आदि के विरुद्ध, समानता का अधिकार हो। इसी प्रकार संविधान के 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' वाले भाग से पहले भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन को उपदेश देने का चित्र रखने के पीछे भी भारतीय राजनीति में नीतिगत व्याख्या का प्राचीनतम स्वरूप दिग्दर्शिता करने का ही भाग निहित है। लोक कल्याण के लिए व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं? नीति को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व हैं ? इन सबको विशद विवेचन श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद् गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हुए किया है। इस सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र की वर्तमान भावना को भारत ही हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और उसके प्रतीकों के साथ भी जोड़ा जाए, तभी इस राष्ट्र की विशेषता को विश्व समुदाय पहचान पाएगा।

राष्ट्र केवल एक भौगोलिक या राजनीतिक इकाई ही नहीं होता। राष्ट्र सबसे पहले व्यक्ति की चेतना में पैदा होता है। उस राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के भीतर रागात्मक लगाव उसे उत्तराधिकारी में प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन, इतिहास, परंपराएं, परिवेश और स्मृतियां हमें सहजता से उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। हमारा संविधान हमारी उसी राष्ट्र चेतना का प्रतीक माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना से जुड़े इन प्रतीकों को रेखांकित करने, सम्मानित करने और साथ ही उनका गौरव गान करने की आवश्यकता है। यह एक शुभ संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों से यह काम किया जा रहा है और इस क्रम में उन परंपराओं का परित्याग किया जा रहा है, जो ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित की गई और किन्हीं कारणों से स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहीं।

–नीरजा माधव
–दैनिक जागरण
26 जनवरी, 2022

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली / INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

प्रशासनिक अधिकारियों के दैनिक सरकारी कामकाज में सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली संक्षिप्त आदेशात्मक टिप्पणियाँ

Brief important notings being used by Administrative Officers in their daily routine official work

अंग्रेजी	हिन्दी
Action may be taken as proposed.	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए
All concerned should note carefully.	सभी संबंधित व्यक्ति इसे ध्यान से नोट कर लें।
Application is rejected.	प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया जाता है।
Approved.	अनुमोदित।
Approved as a very special case. This should not, however be Quoted as a precedent.	एक विशेष मामला मानते हुए अनुमोदित किया जाता है किन्तु आगे उदाहरण के रूप में इसका उल्लेख न किया जाए।
Wait further report.	आगे और विवरण की प्रतीक्षा कीजिए।
Await reply.	उत्तर की प्रतीक्षा करें।
Do the needful.	आवश्यक कार्रवाई करें।
Draft is concurred in.	प्रारूप पर सहमति दी जा रही है।
Draft may not be issued.	अब प्रारूप जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
Draft reply on the lines suggested above may be Put up.	उपरोक्त सुझावों के आधार पर उत्तर का मसौदा तैयार कीजिए।
Enquire into the case and report early.	मामले की जांच करें और शीघ्र रिपोर्ट दें।
Enquiry be completed and its report submitted at an Early date.	जांच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए।
Explanation may be called for.	स्पष्टीकरण मांगा जाए।
Fix a date for meeting.	बैठक के लिए तारीख नियत करें।
Give top priority to this work.	इस कार्य को परम अग्रता दें।
I agree.	मैं सहमत हूं।
I agree with 'A' above.	मैं उपर्युक्त 'क' से सहमत हूं।
I disagree.	मैं सहमत नहीं हूं।
I fully agree with office note.	मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं।
Inform accordingly.	तदनुसार सूचित किया जाए।

अंग्रेजी	हिन्दी
Issue as amended.	यथासंशोधित जारी किया जाए।
Issue reminder urgently.	तुरन्त अनुस्मारक भेजिए।
Issue today.	आज ही भेज दिया जाए।
Issue warning.	चेतावनी दी जाए।
Kindly see it for approval.	कृपया इसे अनुमोदन के लिए देखें।
May file.	फाईल कर दिया जाए।
No assurance in the matter can be given at this stage.	इस मामले में इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
Order may be issued.	आदेश जारी कर दिया जाए।
Office may note it carefully.	कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर लें।
Permitted.	अनुमति दी जाती है।
Please circulate and file.	कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दें।
Please discuss.	आकर चर्चा कर लें।
Please fleg the relevent papers.	कृपया संगत कागजातों पर पर्चियाँ लगा दें।
Please issue necessary notification.	कृपया आवश्यक अधिसूचना जारी करें।
Please make a special note of this Decision.	कृपया इस निर्णय को विशेष रूप से नोट करे।
Please prepare a precis of the case.	कृपया मामले की संक्षेपिका तैयार करें।
Please put up a self contained note.	कृपया स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करे।
Please remind after one week.	कृपया एक सप्ताह बाद याद दिलाएं।
Please see the preceding notes.	कृपया पिछली टिप्पणियाँ देख लें।
Please speak.	कृपया बात करें।
Please take immediate action.	कृपया तुरंत कार्रवाई करें।
Put up through proper channel.	उचित माध्यम से प्रस्तुत करें।

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 1772, 7144, 1242

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com